



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक:-01.08.2022

थाना-कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0- 245/19 धारा 376(3) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश तिवारी पुत्र मुन्ना तिवारी निवासी भरथरा थाना लोहता वाराणसी को अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल, अपर पुलिस उपायुक्त महिला एवं अपराध प्रभारी मॉनिटरिंग सेल थाना कोतवाली के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो II वाराणसी द्वारा दिनांक- 01.08.2022 को अभियुक्त राजेश तिवारी पुत्र मुन्ना तिवारी उपरोक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376(3) भादवि मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

(मीडिया सेल)

पुलिस उपायुक्त कार्यालय

जोन-काशी

कमिश्नरेट-वाराणसी ।